

## न्यायालय जिला कलक्टर,भरतपुर

अपील/आरटीआई/12/2020

राधेश्याम पुरोहित पुत्र पूरनाराम निवासी ग्राम फतेहपुर कलां पोस्ट मूडोती तहसील नगर जिला भरतपुर ।

### बनाम

तहसीलदार नगर ।

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

### आदेश

दिनांक 11.02.2020

अपीलार्थी की यह अपील सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रस्तुत हुई है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलान्त श्री राधेश्याम पुरोहित पुत्र पूरनाराम निवासी फतेहपुर कलां पोस्ट मूडोती तहसील नगर ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत जरिये प्रार्थना पत्र 09.12.2019 को द्वारा उपखण्ड अधिकारी नगर से सूचना चाही गयी थी। उपखण्ड अधिकारी नगर द्वारा प्रार्थी का आवेदन तहसीलदार नगर को अंतरित किया गया। तहसीलदार नगर द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण यह अपील पेश की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई । इस कार्यालय के पत्र क्रमांक/कोर्ट/60 दिनांक 25.01.2020 के द्वारा तहसीलदार नगर से अप्रार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने बाबत रिपोर्ट तलब की गई। इस संबध में तहसीलदार नगर से उनके पत्र क्रमांक/ 173 दिनांक 06.02.2020 के द्वारा जबाब प्राप्त हुआ जो शामिल मिसिल किया गया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलार्थी ने अपील में कथन किया है कि आरटीआई के तहत चाही गई सूचनाएं तहसीलदार नगर ने उपलब्ध नहीं कराई गई हैं। अपीलान्त ने तहसीलदार नगर से सूचनाएं उपलब्ध कराये जाने की प्रार्थना की है। तहसीलदार नगर से प्राप्त जबाब पत्र क्रमांक/173 दिनांक 06.02.2020 का अवलोकन किया गया। पत्र के अवलोकन से यह जाहिर है कि अपीलार्थी को समस्त सूचनाएं उपलब्ध करा दी गई हैं। तहसीलदार नगर ने अपने कथनों की ताईद में पत्र क्रमांक/297 दिनांक 23.12.2019 की प्रति भी भिजवाई गई है। रेस्पों. ने अपीलांत को सम्पूर्ण सूचना उपलब्ध करा दी हैं।

अस्तु अपील अपीलान्त खारिज की जाती है । निर्णय की प्रति अपीलार्थी को तहसीलदार नगर से प्राप्त पत्र की प्रति संलग्न कर प्रेषित की जावे। निर्णय की प्रति तहसीलदार नगर को भी भेजी जावे।

(नथमल डिडेल)  
जिला कलक्टर  
भरतपुर

